४२९

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक : BRLPS-LSBA/Estt/53/17/746 दिनांक : 08.03.18

कार्यालय आदेश

राज्य समन्वयक द्वारा प्रखण्ड धनरूआ में लोहिया स्वच्छ बिहार के कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के क्रम में निम्न त्रुटियाँ पायी गयी थी:

(क) अधिकांश शौचालय एकल पीट के ही थे।

(ख) अधिकांश शौचालय का निर्माण स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा कराया गया था, जिसके ग्रामीणों को लागत राशि एवं उपयोगिता के संबंध में स्पष्टता नहीं की।

(ग) समुदाय की भागीदारी एवं अपनापन/स्वयं (Ownership) का नहीं परिलक्षित हो रही था।

(घ) कई स्थानों पर 'शंकर शौचालय' नाम के तकनीक का उपयोग किया गया था जो बिल्कुल ही निदेश के विपरीत है।

(ङ) कई लाभार्थियों के द्वारा खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा के उपरान्त भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की भी शिकायत की गयी थी।

उपरोक्त हेतु श्री अविनाश शंकर, जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पटना को कार्यालय पत्रांक BRLPS/LSBA/Estt/HR/27/17/69 के माध्यम से स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी जिसका श्री अविनाश शंकर द्वारा कोई जबाव समर्पित नहीं किया गया।

साथ ही गंगा कार्य योजना अन्तर्गत गलत एवं भ्रामक सूचना उपलब्ध कराये जाने पर राज्य स्तर से पत्रांक BRLPS/LSBA/Estt/HR/27/17/86 के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछा गया। जिसका जबाव अविनाश शंकर द्वारा समर्पित नहीं किया गया।

दिनांक 10 जुलाई 2017 राज्य स्तर पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में अविनाश शंकर, जिला समन्वयक द्वारा भाग नहीं लिया गया। इस हेतु भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पत्रांक BRLPS/LSBA/Estt/HR/27/17/27 के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछा गया था। जिसका जबाव श्री अविनाश शंकर द्वारा समर्पित नहीं किया गया।

दिनांक 30/11/17 के दैनिक हिन्दी समाचार पत्र दैनिक जागरण में पटना जिले के शौचालय निर्माण में वित्तीय अनियमितता में अविनाश शंकर, जिला समन्वयक, पटना की संलिप्तता संबंधित समाचार प्रकाशित किया गया था एवं उसके उपरांत अविनाश शंकर, जिला समन्वयक अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित हैं।

u28

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री अविनाश शंकर के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन के अनुरूप कार्य में रूचि नहीं लिया गया एवं किए गए कार्यों को गैर जिम्मेदाराना, मनमाने एवं अनुशासनहीन तरीके से किया गया तथा वरीय पदाधिकारी के निदेशों का उल्लंघन किया गया जो एक कर्मी के आचरण के प्रतिकुल है।

अत: सम्यक् विचारोपरान्त अविनाश शंकर, जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पटना के एकरारनामा का नवीकरण नहीं करने का निर्णय लिया गया। जो तत्काल प्रभाव से लागु होगा।

आदेशानुसार

8/3/18

(राजीव कुमार सिंह)
प्रशासी पदाधिकारी-सह-
राज्य समन्वयक

ज्ञापांक : BRLPS-LSBA/ESLL/53/17/746 दिनांक : 08.03.18

प्रतिलिपि : श्री अविनाश शंकर, जिला समन्वक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष/निदेशक DRDA -सह-सचिव,जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

8/3/18

(राजीव कुमार सिंह)